

फर्द अहकाम

रामफूल बनाम सीताराम

अय A.C-II

T.I 145/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>अज्ञा दिनांक 01/05/25 को पत्रवाली पेश हुई। अभिभावक मर द्वारा आज कर्तव्य/वर्ग बहिष्कार/कर्मस्थगित किये जाने के कारण न्यायाधिकार नहीं की जा सके। पी.ओ.स. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर हैं। अतः पत्रवाली पूर्वनुसार दिनांक 02/05/25 को पेश हों।</p> <p>02/05/25 पत्रवाली पेश हुई। वकील आर्ची उपस्थित। आर्ची सं. 3 उपस्थित। आर्ची सं. 1, 2, 3 व 4 की तामील जारी Reg. प्र. क्र. 1, 2, 3 व 4 अनुपस्थित हैं अतः आर्ची सं. 1, 2, 3 व 4 के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्यवाही आमल में लाई जाती है। वकील आर्ची व वकील आर्ची सं. 3 की बहस प्रा. पत्र आस्थादि निवेदना पत्र सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रवाली का मप फल विजात व मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद का तक्रार में हेतु पेश किया गया है मूलवाद का निस्तारण तहसीलदार सांगीर से प्राप्त किया जाना है अतः निस्तारण के अनुसार किया जाना है। आस्थादि निवेदना के विरुद्ध मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात की संरक्षित बनाने व रखना आवश्यक समझते हैं जिससे वाद का हलक्यता न बंदे। अतः आर्ची व वकील आर्ची निवेदना स्वीकार किया जाकर आर्ची व आर्ची को</p>	


सहायक कलेक्टर  
जयपुर शहर द्वितीय

फर्द अहकाम

शमशूल के. बनाम सीताराम के.

नाम न्यायालय

केस संख्या 121 No - 145/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	Com...	<p>92</p> <p>ताफसला मूलवाद अस्थाई निर्देशानुसार  पावेद दिया जाता है की वास्तुगत भातजीपत  खाता नंबर नया 166 पुराना 164 के खसरा  नंबर 799, 800, 803, 804, 806, 807,  809, 809/1722 कुल कितना 8 कुल रकबा  38600 हेक्टेयर वरके ग्राम गीविन्दपुरा  उर्फ रोपड़ा, पलवार हल्का लूमिआवास,  तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित है  की क रिकॉर्ड की अस्थाई बनाए रखे  पत्रावली फौजल शुमार होकर दर्ज नंबर  से कम होकर वास्तुगत है।  निर्णय आज दिनांक 02/05/2025 को  सरे वजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">   सहायक कलेक्टर  जयपुर शहर द्वितीय </p>